


8.8.23

पत्रावली पत्र हुई। ~~किसी~~ प्रार्थी अधिकतम अनुपस्थिति।  
प्रार्थनापत्र का मूल वाद प्रकरण संख्या 135/21 वाद खारिज  
हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही  
शेष नहीं रहती है।

प्रार्थना पत्र का मूल वाद खारिज किया  
जाता है। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण  
फैदल शुमार होकर नम्बर से कम है।

  
प्रतिभा कर्मा  
IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
निवा-उदयपुर